

उत्तर प्रदेश शासन
भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या- 1222/54-1-2011/8(9) /2008
लखनऊ दिनांक 19 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

संयुक्त सचिव भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग ने पत्र संख्या जेड -11011 /11/2010-पीपीसी दिनांक 11.10.2011 के द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 के कतिपय चैप्टर/प्रस्तर में संशोधन किया गया है जिसमें संशोधित प्रस्तर-29 व 30 के अनुसार जनपद स्तर पर जिला वाटरशेड विकास इकाई (डीडब्ल्यूडीयू) के स्थान पर एक प्रथक प्रकोष्ठ वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) स्थापित करने का प्राविधान किया गया है जो कि वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर नजर रखेगी ।

उपरोक्त प्रस्तर- 29 व 30 में संशोधन के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की भूमि संरक्षण इकाई में वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी)की स्थापना वाटरशेड विकास परियोजनाओं एवं आई0ए0पी0 वाले जनपदों में निम्नानुसार की जायेगी ।

क्र० संख्या	अधिकारी का नाम	डब्ल्यूसीडीसी में पदेन
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप निदेशक अथवा वरिष्ठ भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास	परियोजना प्रबन्धक
3	जनपद स्तर पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) का प्रतिनिधि	सदस्य
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) का प्रतिनिधि	सदस्य
5	योजनाधीन जनपद स्तर पर अन्य विभाग के वरिष्ठ परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी	सदस्य

नोट - जिन जनपदों में मण्डलीय उप निदेशक , भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी तैनात होंगे वहाँ मण्डलीय उप निदेशक परियोजना प्रबन्धक नामित होंगे तथा जिन जनपदों में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की एक से अधिक इकाई होगी वहाँ पर वरिष्ठ भूमि संरक्षण अधिकारी परियोजना प्रबन्धक नामित होगा ।

जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं कार्मिकों की संख्या वाटरशेड क्षेत्र के अनुसार निम्नवत् होगी ।

क्र०सं०	पद का नाम	25,000हे० तक वाटरशेड क्षेत्र वाले जनपदों हेतु पदों की संख्या	25,000 हे० से अधिक वाटरशेड क्षेत्र वाले जनपदों हेतु पदों की संख्या
1	2	3	4
1	टेक्निकल एक्सपर्ट	1	2
2	लेखाकार	1	1
3	लेखा सहायक	-	1
4	डाटा इन्ट्री आपरेटर	1	2
	योग	3	6

76/DS
21-12-11

